ता० ग्री	कोई ऐतराज पेश नहीं किया। प्रतिवादी 16 के वारीसान को रिकार्ड पर लिया गया है। प्रतिवादी नं० 16 के वारीसान 16/1 से 16/4 की ओर से जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वारीसान मृतक 16/1 से 16/4 के नाम स्याही से वाद में दर्ज किये जावे। शेष प्रतिवादीगण 20, 22, 26 की तलबी हेतु दिनांक 13-7-2017 को पेश हो।	अभि. पतासी
	उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)	अभि. गुलाब
		अभि. चुड़ाराम
13.7.17	पत्रावली आज लोक अदालत कोर्ट उदयपुरवाटी में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण के वकील उपस्थित। राजीनामा पेश किया जो शामिल रहे। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार उभय पक्षकारान विवादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने पर सहमत हैं। वादपत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय व प्रा. डिक्री पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)	
14.9.17	वकील वादी द्वारा प्रा.पत्र 151 CPC प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी को सुना गया। प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री दिनांक 13.7.17 में दर्ज अनवान महेन्द्र आदि बनाम मुन्नीया आदि की बजाय बल्लाराम बनाम धुड़ा उर्फ शंकर आदि दुरस्त किया जाता है। डिक्री पर लाल स्याही से नोट दर्ज हो। यह आदेश डिक्री व निर्णय का हिस्सा रहेगा। प्रा.पत्र फैसल शुमार हो।	
	उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)	

Scanned by CamScanner